वैकल्पिक देखरेख पर एक श्रृंखला

बाल देखरेख संस्थानों में देखभाल के मानक

UDAYAN care

unicef
unite for children

विषय सूची

प्रस्तावना v

परिवर्णी और संक्षिप्त शब्द vi

1. परिचय 01

2. संकल्पना 03

3. संस्थानों का पंजीकरण और श्रेणीकरण 06

4. देखरेख के मानकों और मुख्य प्रक्रियाओं की समीक्षा 09

5. देखरेख के व्यवसायिक कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं 20

6. भारत और दुनिया भर में संस्थागत देखरेख के कुछ उदाहरण 21

अनुलग्नकः बाच्चों की देखरेख और सुरक्षा के मूल सिद्धांत 24

संन्दर्भ सूची 26

प्रस्तावना

2015 बच्चों के अधिकारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष था जब किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनिम, 2015 अधिनियमित हुआ। विश्व में भी यह वह वर्ष था जब संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने संधारणीय लक्ष्यों की प्राप्ति (एसडीजी) को अपना उद्देष्य बनाया ताकि विश्व में गरीबी का अंत हो और सभी को समृद्धि प्राप्त हो। इस विकास के साथ 2015 के बाद भारत में बच्चों की सुरक्षा को एक मजबूत अधिकार–आधारित हैसियत प्राप्त हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में उदयन केयर इस बात के प्रति सजग है की बच्चों कि सम्पूर्ण सुरक्षा को लिया जाये तो घर से बाहर रह रहे बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। वे बच्चे जिनको सुरक्षा की जरुरत है उनकी संख्या दिन–ओ–दिन बढ़ती रहती है और भारत में दत्तकग्रहण की परंपरा अभी भी बहुत कम है। अनुमान है कि 2020 तक यह संख्या 24 मिलियन हो जाएगी। इस प्रकार, भारत के सामने बहुत बड़ा कार्य है– इन बच्चों को सुरक्षा देने का और उन्हें वह सारे अवसर उपलब्ध कराने का ताकि वह अपनी पूरी काबलियत हासिल कर पाएं। एक तगड़ी वैकल्पिक देखरेख की प्रणाली की आवश्यकता है जो इन बच्चों को सुरक्षा दे और उन्हें समाज में दोबारा समन्वित करे और हम सब इसके लिए जवाबदेह होने चाहियें।

वैकल्पिक देखरेख की प्रणाली को तगड़ा बनाने के लिए कानूनों और प्रावधानों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है, लेकिन, कई बार हम देखते हैं कि इन कानूनों और प्रावधानों के बारे में उन लोगों को पता नहीं होता जो इस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं और इससे 'बच्चों के अधिकारों' की बात गौण बनकर रह जाती है। वैकल्पिक देखरेख भारत में अभी भी नया विषय है। यह देखते हुए उदयन केयर को लगा की इसके बारे में जानकारी, शिक्षा और संचार की सामग्री होना जरूरी है। यह प्रकाशन जिसका नाम है, ^oSdfYid ns[kjs[k* ij ,d Js[kyk] जिसमें चार हस्त–पुस्तिकाएं हैं यानि, ^cky ns[kjs[k lsLFkkuks esa ns[kHkky dh ekud*] ^iksyu&iks"k.k ns[kjs[k] ^nÙkdxzg.k* और ^fd'kksjkoLFkk dh iks'pkrorhZ ns[kjs[k*] इस दिशा में एक प्रयास है। यह हस्त–पुस्तिकाएं भारत में सबसे नवीनतम कानूनी और नीति के ढांचे को आवरण करती हैं और इनमें बातों को सरल तरीके से समझाया गया है ताकि सभी सम्बंधित व्यक्ति उनका सन्दर्भ ले सकें।

इन हस्त–पुस्तिकाओं में कोई मुश्किल कानूनी बातें नहीं हैं। इनका उद्देष्य है कि इस क्षेत्र में काम कर रहे लोग इन चारों क्षेत्रों का 'दायरा' और उनके 'मुख्य तथ्य' समझ सकें। सभी पुस्तिकाओं को एक ही तरह से प्रस्तुत किया गया है, पहले मूल सोच पर प्रकाश डाला गया है, फिर कानूनी और नीति के प्रपत्रों के बारे में बात की गयी है उसके बाद भारत और कुछ अन्य देशों में अभ्यासों पर एक अध्याय है। प्रत्येक पुस्तिका में उन लोगों के लिए संदर्भ की सूची भी हैं जो इस मुद्दे पर और जानकारी लेना चाहते हों।

इन पुस्तिकाओं को देखरेख के अभ्यासकों, सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे लोगों, बच्चों की जिला बाल सुंरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड, सामाजिक कार्यकर्ता, देखरेख करने वाले, कर्मचारीगण और संस्थाओं की प्रबंधन समितियों और साथ ही इस क्षेत्र में नए लोगों और स्वेछा से कार्य करने वालों के लिए लिखा गया है। लेकिन यह बात नोट करने लायक है कि यह पुस्तिकाएं कानून से ऊपर नहीं हैं और उसका स्थान नहीं ले सकतीं, कानून को आगे समझने की लिए, हमारा परामर्श है कि आप सम्बंधित नियम और कानून पढ़ें।

वैकल्पिक देखरेख पर यह प्रकाशन संभव नहीं हो पाता यदि यूनीसेफ का समर्थन नहीं मिला होता। उदयन केयर इस समर्थन की लिए उनका बहुत आभारी है।

हम विभिन्न विशेषज्ञों के निवेश के लिए अत्यंत आभारी हैं, जैसे, यूनीसेफ की तनिष्ठा दत्ता, स्वागत रहा जो सेंटर फॉर चाइल्ड एंड लॉ, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, बेंगलुरु से हैं, प्रमोदाय शाखा जो सहायक–निर्देश हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, दिल्ली सरकार से और इयान आनंद फोर्बेर प्रतत जो नेशनल प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अल्टरनेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन, इंडिया।

कहने की जरुरत नहीं है कि उदयन केयर की सम्पूर्ण टीम की कड़ी मेहनत ने यह सुनिष्चित किया कि यह उद्योग पूर्ण रूप से सफल हुआ।

mn;u ds;j

परिवर्णी और संक्षिप्त शब्द

जेजे एक्ट 2015	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act)
जेजे रूल्स 2016	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 (JJ Rules)
आईसीपी	व्यक्तिगत देखरेख योजना (ICP)
आईसीपीएस	समेकित व्यक्तिगत देखरेख योजना (UNCRC)
यूएनसीआरसी	यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन (UNGAC)
यूएनजीएसीसी	बच्चों की देखरेख के लिए संयुक्त राष्ट्र का वैकल्पिक दिशानिर्देश (UNGACC) 2009
सीसीआई	बाल देखरेख संस्थाओं (CCI)
एनजीओ	गैरसरकारी संगठन (NGO)
एचआईवी/एड्स	ह्यूमन इम्यूनो वायरस (HIV/AIDS)
सीडब्ल्यूसी	बाल कल्याण समिति (CWC)
डीसीपीयू	जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU)
जेजेबी	किशोर न्याय बोर्ड (JJB)
सीडब्ल्यूओ	बाल कल्याण अधिकारी (CWO)
सीडब्ल्यू	मामला कार्यकर्ता (CW)
एसजेपीयू	विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU)
एफआइआर	प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)
जीसी	सामूहिक देखरेख (Group Care)
एलआईएफई	पारिवारिक पर्यावरण में रहना (LIFE)
केएआई	किड्स अलाइव इंटरनेशनल (KIL)
सीएसबी	बाल सुझाव पुस्तिका (CSB)

परिचय

यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाये तो भारत में अनाथ बच्चों की देखरेख संस्थागत रूप में होती आयी है। हालाँकि संयुक्त परिवार के सदस्य आमतौर पर उन बच्चों की देखरेख करते हैं जिनके माता–पिता नहीं होते, हमेशा से ऐसे अनाथ बच्चे रहे हैं जिन्हें किसी प्रकार का पारिवारिक समर्थन नहीं मिल पाता, ऐसे बच्चों की देखरेख आमतौर पर अनाथालयों में की जाती है, जिन्हे देखरेख और सुरक्षा की संस्थाएं माना जाता है। भारत के अनाथालय पिछले अनेक दशकों से काम कर रहे हैं, और कुछ तो 100 साल पुराने भी हैं जैसा आगे वाले उदाहरण में दर्शाया गया है। तमिलनाडु का 'सन थोमे ओरफेन्ज' अनाथालय 1820 और 1830 के बीच स्थापित किया गया, बच्चों का घर जो दिल्ली का सबसे पुराना अनाथालय है 1891 में बनाया गया और आर्य अनाथालय 1918 में और एस ओ एस चिल्ड्रेन्स विलेज ऑफ इंडिया ने अपना पहला चिल्ड्रेन्स विलेज हरियाणा में 1894 में स्थापित किया। लेकिन संस्थागत देखरेख का मूल स्वरुप बदल गया है, क्यूंकि देश का सामाजिक–आर्थिक और राजनैतिक परिवेष बदला है और पूरी दुनिया में बच्चों के अधिकारों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

भारत की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव अनेक तरीकों से दिखाई देता है। संयुक्त परिवार अब समाप्त से हो गए हैं जिससे अनाथ बच्चों के पास जो पारम्परिक समर्थन उपलब्ध था, वह कमजोर होता जा रहा है। गरीबी और रोजगार नहीं मिल पाने से बच्चे अपने आप को किनारे पर खड़ा पा रहे हैं। सामाजिक विरोध और आपदाएं न केवल बच्चों को बेघर बनती हैं, बल्कि उनपर मानसिक और सामाजिक कुप्रभाव डालती हैं। आजकल की सामाजिक स्थितियाँ ऐसी हैं की उनसे अनेक प्रकार की बच्चों को दिक्कत पहुचाने वाली प्रवृतियां उभर कर आती हैं, जैसा की भारतीय सन्दर्भ के अध्याय में कहा गया है।

राजनैतिक रूप से भारत को 1947 में मिली आजादी और 26 नवंबर 1949 को संविधान का अपनाया जाना बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करता है और यह सुनिष्चित करता है की बच्चों के मुद्दों पर अधिक विधान बनाये जाएँ। बच्चों की राष्ट्रिय नीति 1974, एक सामान्य किशोर न्याय अधिनियम का 1986 में बनना, जिसने विभिन्न राज्यों की बाल अधिनियम को प्रतिस्थापित किया और भारत का यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन आन दा राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का 1992 में प्रमाणीकरण से देश में उस अभियान को गति मिली जो बच्चों की भलाई पर आधारित है, लेकिन संस्थागत रूप से बच्चों की देखरेख में एक बड़ा मोड़ तब आया जब किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जेजे एक्ट, 2000) अधिनियमित किया गया और इसने किशोर न्याय अधिनियम 1986 को प्रतिस्तापित किया और भारत में संस्थागत ढांचों और उनके कार्यों में मूल बदलाव आया। यह अधिनियम 2015 में खारिज किया गया और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट, 2015) प्रभाव में आया, और उसने अन्य बातों के आलावा वर्तमान संस्थागत और गैर संस्थागत बच्चों की देखरेख की प्रणालियों में बदलाव लाई।

कानूनी और नीति के दस्तवेज जो भारत में संस्थागत देखरेख पर शासन करते हैं

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (जेजे एक्ट, 2015)
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम 2016 (जेजे रूल्स, 2016)
समेकित व्यक्तिगत देखरेख योजना (आईसीपीएस)

बच्चों के अधिकारों पर वैश्विक लक्ष्य और गतिविधियों को देखते हुए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन (यूएनसीआरसी) को 30 नवंबर 1989 को सामान्य सभा द्वारा अपनाया गया और इसे बच्चों की भलाई के प्रति सबसे महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है, क्यूंकि इसमें बच्चे की भलाई की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए वैष्विक कानूनी मानक दिए गए हैं। यह बच्चों को उनका मूल अधिकार देता है जिसमें शामिल हैंः जीवित रहने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और भागीदारी का अधिकार। भारत ने यूएनसीआरसी का समर्थन 11 दिसंबर 1992 को मंजूर किया था, और दोबारा उन मानकों का समर्थन करने की प्रतिज्ञा ली थी जिनका कन्वेंशन में उल्लेख है। बच्चों के अधिकारों पर अन्य अंतराष्ट्रीय प्रपत्र भी हैं, जैसा नीचे बॉक्स में दिया गया है, जो भारत में बच्चों की देखरेख के विधान का आधार हैं।

बच्चों के अधिकारों पर मुख्य अंतराष्ट्रीय प्रपत्र

- बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा, 1959
- न्यूनतम आयु सम्मेलन, 1973
- बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, 1989
- किशोर न्याय की प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र की मानक न्यूनतम नियम, 1985 (बीजिंग नियम)
- आजादी से वंचित किशोरों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियम, 1990
- बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति और बाल अश्लीलता पर सीआरसी के लिए स्वैच्छिक आदिलेख, 2000
- सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भागीदारी पर सीआरसी के लिए स्वैच्छिक आदिलेख, 2000
- बच्चों के वैकल्पिक देखरेख पर संयुक्त राष्ट्र का दिशानिर्देश (यूएनजीएसीसी), 2009

(20 नवंबर 2009 को यूएनजीएसीसी को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा समर्थन दिया गया था और 24 फरवरी 2010 को अपनाया गया, संकल्प ए/आरईएस/64/142)

मुख्य बातेंः यह भाग संस्थागत तरीके से बच्चों की देखरेख पर एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण देता है और बच्चों के अधिकारों पर अंतराष्ट्रीय प्रपत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

संकल्पना

संस्थागत देखरेख उस देखरेख, सुरक्षा, पुनर्वास और सामजिक एकीकरण के बारे में है जब परिस्थितियाँ मुश्किल और संवेदनशील होती हैं और बच्चों को व्यावसायिक कार्यकर्ताओं की देखरेख में रखा जाता है जिनके कार्य उन मानकों द्वारा शासित होते हैं जैसा देश के कानून में निर्धारित है। जेजे एक्ट 2000; 2015 तक बच्चों की देखरेख की संस्थाओं का मार्गदर्शक था। जब नया जेजे एक्ट, 2015 अधिनियमित किया गया, इस नये कानून में अलग अलग तरह की संस्थाओ का विवरण किया गया है। बच्चों की देखरेख की संस्थाओं के कार्य ऐसे होते हैं जो बच्चों की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और नैतिक जरूरतों को उनकी आयु के अनुसार पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालाँकि देखरेख और सुरक्षा जो संस्थागत देखरेख का मूल उद्देश्य है उनका पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण भी बहुत आवश्यक है ताकि बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बनें।

लेकिन, यह नोट करना आवश्यक है की भारत और कई देशों में बच्चों की देखरेख का मुख्य केंद्र संस्था से हटकर परिवार या समुदाय पर आधारित हो गया है जैसा अंतराष्ट्रीय प्रपत्रों और अनुसन्धान की संस्तुति है। संस्थागत तरीके से बच्चों की देखरेख के बावजूद, बच्चों पर नीतियों और कार्यक्रमों ने एक अलग अधिकार–आधारित रवैय्या अपना लिया है, और इस प्रकार संस्थाओं को चलाये जाने का रूप बदल दिया है। रवैय्ये में यह बदलाव भारत की राष्ट्रिय नीति, 2013 में प्रदर्शित होता है जिसने अपना मुख्य उद्देश्य कुछ ऐसे परिभाषित किया है, "उन बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करना जो अस्थायी या स्थाई रूप से माता–पिता की देखरेख से वांछित रहे हैं, सरकार यह प्रयत्न करेगी की उन्हें पारिवारिक और सामुदायिक देखरेख प्राप्त हो, जिसमें शामिल होगा प्रयोजन, अपनापन, पालन–देखरेख और दत्तकग्रहण और *lLFkkxr* n[kj[k vfre mik; d : i e ,d fodYi gkxk, और बच्चे की भलाई सबसे पहले आएगी और देखरेख और सुरक्षा के मानदंड उच्च स्तर के होंगे" (अनुछेद 4.10)। अतीत और वर्तमान की देखरेख की प्रणालियाँ नीचे दर्शायी गयी हैं:

अतीत		वर्तमान
जरूरत आधारित रवैय्या	→	अधिकार आधारित रवैय्या
बच्चों की भलाई पर ध्यान	→	बच्चों के विकास पर ध्यान
संस्थाओं में देख–भाल	→	परिवार या समुदाय पर आधारित देख–भाल
बाल देखरेख संस्थानों में अभिरक्षण सम्बन्धी देखरेख	→	संस्थाओं में बच्चों की सम्पूर्ण विकास पर ध्यान जिससे वह समाज में एकीकृत होते हैं
खुले जीवन पर प्रतिबन्ध जिससे बच्चों का आत्म–विश्वास कम होता है, सेवाओं को मशीनी रूप से प्राप्त करने वाला	→	सक्रीय भागीदारी की प्रक्रिया जिससे बच्चा अपने जीवन के बारे में स्वयं निर्णय ले पाता है

बच्चों की वैकल्पिक देखरेख के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा–निर्देश (यूएनजीएसीसी)

बच्चों की वैकल्पिक देखरेख के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देश वर्तमान सन्दर्भ में विशेष महत्व रखते हैं, जबकि बच्चों की पारिवारिक देख–भाल इन दिशा निर्देशों के मूल में है। वह अंतिम उपाय के रूप में संस्थागत देखरेख और कैसे बच्चो की बेहतरी का कैसे ध्यान रखा जाये इन बातों से निपटती हैं। नीचे दिए गए भाग इन दिशा निर्देशों के उचित अंश बताते हैं।

पारिवारिक देखरेख

"परिवार समाज का मूल अंश है और बच्चों के विकास, भलाई और सुरक्षा का प्राकृतिक परिवेश और इसलिए मूल रूप से यह प्रयत्न किये जाने चाहियें की बच्चा अपने माता–पिता की देख–रेख में या नजदीकी रिश्तेदारों के सम्बन्ध में रहे..."

(अनुछेद 3)

"एक बच्चे को उसके परिवार की देखरेख से अलग करने को अंतिम उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए और जहाँ तक हो सके यह अस्थायी होना चाहिए और सबसे कम अवधि के लिए..."

(अनुछेद 14)

"निवासी देखरेख उन मामलों तक सीमित होनी चाहिए जहाँ यह विशेष रूप से उचित है, जरूरी है और निजी बच्चे के लिए सकारात्मक और उसकी भलाई के लिए हो"

(अनुछेद 21)

"इस बात को मानते हुए की निवासी देखरेख की सुविधाएँ और पारिवारिक देखरेख एक दूसरे के पूरक हैं–बच्चों की जरूरतें पूरा करने में, जहाँ निवास की बड़ी संस्थाएं हैं, वहां पूर्ण रूप से विकेन्द्रीकरण के विकल्प भी बनाये जाने चाहियें, विधिवत उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ, जिनसे इन संस्थाओं की धीरे–धीरे समाप्ति की जा सकती है..."

(अनुछेद 23)

निवासी देख भाल

सुविधाएँ जो निवासी देखरेख प्रदान करती हैं उन्हें बच्चों के अधिकारों के इर्द–गिर्द और छोटा और नियोजित होना चाहिए, ऐसे मूल्यों पर जो परिवार के नजदीक है। उनका उद्देश्य होना चाहिए की वह अस्थायी देखरेख प्रदान करें और समाज में बच्चे के पुनःएकीकरण के लिए प्रयास करे, या यदि यह संभव नहीं है तो एक वैकल्पिक पारिवारिक व्यवस्था में उसकी देखरेख सुरक्षित की जाये, जिसमें शामिल है दत्तकग्रहण या मुसलिम कानून के 'काफला' द्वारा।

(अनुछेद 123)

उपाय किये जाने चाहियें ताकी जहां जरूरी और उचित हो एक बच्चा जिसे सुरक्षा और वैकल्पिक देखरेख की जरुरत है वह उन बच्चो से अलग रखा जा सके जो अपराधी न्याय की प्रणाली के अधीन हैं।

(अनुछेद 124)

सक्षम राष्ट्रिय या स्थानीय प्राधिकरण को कड़ी अनुवीक्षण प्रक्रियाएं अपनाने चाहियें ताकि यह सुनिष्चित हो की ऐसे स्थानों पर केवल उचित बच्चों को रखा जा रहा है।

(अनुछेद 125)

राज्यों को यह सुनिष्चित करना चाहिए की निवासी देखरेख की सुविधाओं में पर्याप्त देखरेख करने वाले हैं जो बच्चे को निजी देखरेख और ध्यान दे सकते हैं, और जहाँ उचित है एक विशेष व्यक्ति को एक बच्चे की देखरेख के लिए नियुक्त करना। देखरेख करने वालों को इस तरह काम दिया जाना चाहिए की वह उसके उदेश्य ठीक से लागू कर पाएं और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

(अनुछेद 126)

कानून, नीतियां और नियम द्वारा एजेंसियों, सुविधाओं या व्यक्तियों द्वारा निवासी देखरेख में बच्चों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाना।

(अनुछेद 127)

मुख्य बातः साधारण और संस्थागत रूप में बच्चों की देखरेख की सोच ने एक अधिकार आधारित और विकास आधारित रूप ले लिया है।

संस्थानों का पंजीकरण और श्रेणीकरण

पंजीकरण

जेजे अधिनियम 2015 को 31 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति की सहमति मिली, और 1 जनवरी 2016 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अधिनियम भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ था।

जेजे एक्ट, 2015 की धारा 41 के अनुसार सभी देखरेख की संस्थाओं को, चाहे वह राज्य द्वारा या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलायी जा रही हैं, (tk mu cPpk dk j[k g, g ftUg n[kj[k vkj lj{kk dh vko';drk g] ;k mu cPpk dk tk dkuu d fojk/k e g) इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराना होगा। जिन संस्थाओं का जेजे एक्ट, 2000 के अंतर्गत मान्य पंजीकरण है, उन्हें इस एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत माना जायेगा। जेजे एक्ट 2015 की धारा 41(6) के अंतर्गत एक संस्था के पंजीकरण की अवधि 5 वर्ष के लिए वैद्य होगी। इस प्रावधान के साथ की उसे हर पांच साल में वैद्यता देनी होगी। अधिनियम यह भी निर्धारित करती है की प्रावधानिक पंजीकरण दिया जाये (6 महीने की वैद्यता के साथ) –पंजीकरण के आवेदन की रसीद के एक महीने के अंदर धारा 41(3) जेजे एक्ट 2016 के नियम 21 के अनुसार, बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) के पंजीकरण के लिए आवेदन को प्ररूप 27 में दिया जाना चाहिए–इन दस्तावेजों की प्रतियों के साथः

- नियम
- अधिनियम
- संस्था के बहिर्नियम
- शासित निकाय की सूची
- पदाधिकारी
- ट्रस्टी
- पिछले तीन सालों के तुलन–पात्र
- पिछले रिकॉर्ड का कथन या सीसीआई द्वारा राज्य सरकार को दी गयी सार्वजानिक सेवा
- व्यक्ति या संस्था की और से घोषणा (किसी पहले की दोष–सिद्धि के सम्बन्ध में, या किसी अनैतिक कार्य में संलग्न होना या बच्चों के शोषण या बच्चों से काम कराने का अपराध, या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नाम होना।

राज्य सरकार, यह पुष्टि करने के बाद की सीसीआई ने जेजे नियम 2016 के अनुसार बच्चे की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रहने और खाने, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वासन प्रदान किया है, सीसीआई का पंजीकरण जेजे एक्ट की धारा 41 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्ररूप 28 में पंजीकरण कर सकता है।

बच्चों की देखरेख की संस्था का पंजीकरण नहीं कराना एक अपराध माना जाता है। जेजे एक्ट की धारा 42 के अनुसार एक व्यक्ति या जो व्यक्ति इस संस्था को चालता है, उसे एक साल तक जेल की सजा हो सकती है या एक दंड जो एक लाख रुपयों से कम नहीं है।

संस्थाओं का श्रेणीकरण

नीचे दी गयी तालिका बच्चों की देखरेख की संस्थाओं और उनसे सम्बंधित पहलुओं की सूची देता है:

çdkj	çofÙk
किशोर गृह (धारा 50, जेजे एक्ट, 2015)	उन बच्चों की देखरेख, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए जिन्हें देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता है। यह गृह राज्य सरकार द्वारा हर जिले या कुछ जिले के समूह में बनवाया जाता है। यह वह स्वयं या गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा बनवाती है।
खुला शेल्टर (धारा 43, जेजे एक्ट 2015 और आईसीपीएस)	संवेदनशील बच्चों के लिए (बेघर, सड़क पर रहने वाले बच्चे, भीख मांगने वाले वच्चे, आदि) जो शहरी/अर्ध–शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। यह एक अलप–अवधि की समुदाय आधारित सुविधा है उन बच्चों के लिए जिन्हें आवास की आवश्यकता है जो उन्हें शोषण से बचाये। इसे राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है या तो राज्य सरकार या स्वैछिक या गैरसरकारी संगठनों द्वारा।
संप्रेक्षण गृह (धारा 47, जेजे एक्ट, 2015)	उन बच्चों के अस्थायी आवास, देखरेख और पुनर्वासन के लिए जो कानून के विरोध में हैं–किसी लंबित मामले या पूछताछ के मामले में। इसे राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है –प्रत्येक जिले या जिले के समूहों में या तो राज्य सरकार या स्वैछिक या गैरसरकारी संगठनों द्वारा।
विशेष गृह (जेजे एक्ट, धारा 48)	उस अल्प आयु के आवास और पुनर्वास के लिए जो कानून के साथ किसी झड़प में उलझा है। विशेष घर जिसे राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है –प्रत्येक जिले या जिले के समूह में या तो स्वयं या स्वैछिक या गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा।
सुरक्षित स्थान (धारा 49, जेजे एक्ट 2015)	कोई भी स्थान या संस्था एक पुलिस हिरासत या जेल के आलावा जो अस्थायी रूप से उन बच्चों की देखरेख कर सकता है जो कानून के विरोध में हैं या जिन पर आरोप है। यह संस्था उस व्यक्ति के लिए है जो 18 वर्ष से अधिक का है या एक बच्चा जो 16 से 18 वर्ष के बीच है जिस पर कोई संगीन अपराध का इल्जाम है। सुरक्षित स्थान को राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है– या अलग से या संप्रेक्षण गृह या विशेष गृह से जुड़ा हुआ, उन बच्चों या व्यक्तियों के लिए विशेष आयोजन के साथ जिनसे पूछताछ की जा रही है और जो अपराध के आरोपी हैं। जेजे एक्ट 2015 की धारा 49(1) में एक प्रावधान है जो कहता है कि राज्य सरकार को राज्य में कम–से–कम एक सुरक्षित स्थान स्थापित करना चाहिए।
गृह जो विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए है (आईसीपीएस और धारा 50 (2), 53 (ii)–(iii), जेजे एक्ट 2015	विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस (एचआईवी/एड्स) से प्रभावित हैं, नशीले पदार्थों के आदि हैं, शारीरिक या मानसिक रूप से असंतुलित हैं) या तो एक वर्तमान गृह की विशेष इकाई के रूप में, या अलग से इस उद्देश्य के लिए काम करते हो। जेजे एक्ट 2015 कहती है की 'राज्य सरकार किसी भी बच्चों के गृह को उन बच्चों का गृह घोषित कर सकती है जिनकी विशेष जरूरतें होती हैं, और जो जरुरत के अनुसार विशेष सेवाएं प्रदान करता है'।

çdkj	çofÙk
उपयुक्त सुविधा (धारा 51 (1), जेजे एक्ट 2015, और नियम 23 (13) और 27, जेजे नियम 2016)	एक सरकारी संगठन या किसी भी कानून के तहत पंजीकृत स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठन द्वारा अस्थायी रूप से किसी विशेष उद्देश्य के लिए बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए उपयुक्त होने के लिए लागू होने वाली सुविधा के लिए सुविधा का संदर्भ देता है। इसमें समूह पालक देखरेख के लिए सुविधाएं भी शामिल हैं।
राज्य दत्तकग्रहण संसाधन (धारा 65, जेजे एक्ट 2015)	एक संस्था जिसे राज्य सरकार या स्वैछिक/गैर सरकारी संस्थान द्वारा स्थापित किया गया है – अनाथ, त्यागे हुए या समर्पित बच्चों को गोद लेने के उद्देश्य से बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के आदेश द्वारा वहां रखा गया है।

मुख्य बातः यह अनुभाग पाठकों को भारत में बाल देखरेख संस्थानों के पंजीकरण और श्रेणीकरण के साथ परिचित करता है।

देखरेख के मानकों और मुख्य प्रक्रियाओं की समीक्षा

देखरेख की मुख्य प्रक्रियाएं और मानक सीसीआई के कार्यान्वन के मुख्य अंग हैं। नीचे दिए गए सेक्शन में इन प्रक्रियाओं और मानकों के विवरण हैं, जैसा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 (जेजे रूल्स 2016) में दिया गया है।

समीक्षा

देखरेख का मानक	मुख्य कवरेज
शारीरिक अवसंरचना (नियम 29)	परिसरों को उन बच्चों के लिए अलग करना जो कानून से भिड़ंत में हैं और जिनकी देखरेख और सुरक्षा की जरूरतें हैं, आवास के लिए मानक जैसे लड़के और लड़कियों के लिए अलग–अलग सीसीआई, आयु के अनुसार वर्गीकरण, अपराध किस प्रकार के हैं, और मानसिक और शारीरिक स्तर, उचित फर्श बनाना जिसपर कोई फिसले नहीं, अच्छी रोशनी देना, हवा का इंतजाम, गर्मी और सर्दी के अनुकूल होना, शौचालय (लिंग और आयु अनुसार और विकलांगों के लिए), पानी, प्राथमिक चिकित्सा का उपाय, अग्नि–शामक, बड़े कमरे और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए कमरे, स्टोर और सलाह, बिजली के यंत्रों का समय–समय पर जांच, खाने का सामान ठीक प्रकार से रखना, अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए सुविधाएँ और उपकरण, अन्य सामान जैसे कंप्यूटर, फोटो कॉपी मशीन, प्रिंटर, टेलीफोन, इंटरनेट, प्रोजेक्टर और टेबल–कुर्सी, आदि। सीसीआईएस बच्चों के अनुकूल होने चाहियें और जेल या पुलिस हिरासत जैसे नहीं लगने चाहियें।
कपड़े, बिस्तर और प्रसाधन का सामान (नियम 30)	कपड़े और बिस्तर मौसम के अनुसार होने चाहियें और छूट–पूत सामान जैसे चप्पल, जूते (खेल–कूद और स्कूल के, स्कूल की ड्रेस, बैग, रुमाल, मोजे, पेंसिल–कॉपी, आदि, तीन साल में एक बार सूट, सीसीआईएस से जुड़े अस्पतालों के लिए कपड़े और बिस्तर, तेल, साबुन, मच्छर भागने के उपकरण, झाड़ू, आदि।
स्वच्छता और सफाई (नियम 31)	पीने के पानी और अन्य उद्देश्यों से पानी की सुविधा, पानी की उचित निकासी, कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था, शौचालय (सात बच्चों के लिए कम–से–कम एक), नहाने का घर 9,10 बच्चों के लिए कम–से–कम एक), रसोई, बिस्तर को हवा लगना, आदि।
रोजमर्रा की क्रियाएं (नियम 32)	यह बच्चों की वह गतिविधियां हैं जिनसे उनका जीवन अनुशासित बनता है–इनमें अन्य बातों के आलावा शामिल हैं निजी स्वछता, सफाई, शिक्षा, शारीरिक व्यायाम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन और खेल–कूद, नैतिक शिक्षा, समूह में की गयी क्रियाएं और प्रार्थना।

देखरेख का मानक	मुख्य कवरेज
देखरेख का मानक–पोषण और आहार का स्तर 9 नियम 33)	संस्थागत देखरेख के अंतर्गत बच्चों को जो खाने की मात्रा और स्तर जिसका उनको अधिकार है, आहार का स्तर बनाये रखना, छुट्टी और त्यौहार के दिनों में विशेष भोजन का प्रावधान, दूध–पीते बच्चों और बीमार बच्चों के लिए विशेष खाना, खाने का समय और मेनू।
चिकित्सीय देखरेख, (नियम 34)	चिकित्सा सुविधाओं का इंतजाम, प्रत्येक बच्चे के चिकित्सीय विवरण बनाकर रखना, परामर्श सेवाएं, प्रतिरक्षण, सलाह, कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षण, रोकथाम का स्वास्थ्य, सम्पूर्ण खून की जांच, पिशाब की जांच, एचआईवी, वीडीआरएल, हेपेटाइटिस बी,सी और दवाओं से एलर्जी, प्रत्येक बच्चा की सामाजिक–मनोवैज्ञानिक रूपरेखा।
मानसिक स्वास्थ्य, (नियम 35)	मानसिक स्वास्थ्य का विवरण रखना, सीसीआईएस में अच्छा माहौल जिससे मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, निजी उपचार, प्रशिक्षित सलाहकारों की सेवाएं, मनोवैज्ञानिक आंकलन और रोग–निदान।
शिक्षा (नियम 36)	बच्चे की आयु और क्षमता के अनुसार शिक्षा –सीसीआई के अंदर और बाहर, शिक्षा के अनेक अवसर (जैसे मूल स्कूल, ब्रिज स्कूल, अनौपचारिक स्कूल), विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षक, और जरूरतों के अनुसार विशेष कोचिंग।
व्यावसायिक प्रशिक्षण (नियम 37)	आयु, रूचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण, अंदरूनी या बाहरी संस्थाओं के साथ गत–बंधन में प्रशिक्षण. इसमें व्यावसायिक उपचार भी आता है और हुनर और रूचि आधारित प्रशिक्षण जिससे बच्चे को नौकरी मिले या वह कोई व्यवसाय कर सके।
मनोरंजक सुविधाएँ (नियम 38)	अंदर और बाहर खेले जाने वाले खेल, योग, ध्यान, संगीत, टेलीविजन, पिकनिक, बाहर जाना और सांस्कृतिक प्रोग्राम, बगीचे की देखरेख, पुस्तकलय, डांस, आदि।

निर्णय लेने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी

बाल देखरेख संस्थाओं की निर्णय लेने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी अधिकार आधारित देखरेख का एक मूल अंग है। बच्चों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भागीदार बनाकर संस्थागत देख–भाल निर्णय लेने की प्रक्रिया को सम्मिलित बनाती है। यह बच्चों की देखरेख संस्थाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र का वैकल्पिक दिशानिर्देश (यूएनजीएसीसी) के तर्क से सुसंगत है, जो भारत के राष्ट्रिय नीति 2013 और अंतराष्ट्रीय और कानूनी प्रपत्रों का उद्देश्य है। वह प्रणालियाँ और नियम जिनके अंतर्गत बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित है, वह हैं:

- **प्रबंधन समिति के सदस्य होना:** जेजे रूल्स 2016 के नियम 39(3) के अनुसार, बच्चों की देखरेख की संस्था की प्रबंधन समिति की 'प्रत्येक बच्चों की समिति से दो प्रतिनिधि होंगे जो सदस्य होंगे'।
- **बच्चों की सलाह का पिटारा:** प्रत्येक बाल देखरेख संस्थाओं की प्रबंधन समिति की लिए जरूरी है की वह बच्चों के लाभ के लिए एक शिकायत और निवारण प्रणाली बनाये–जेजे नियम, 2016 की नियम 39(5) के अनुसार सीसीआई के निवासी स्थान के समीप एक बच्चों के सुझावों का पिटारा होगा ताकि बच्चे इस सुविधा तक आसानी से पहुँच पाएं। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष या जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) से उसका प्रतिनिधि –सदस्यों की उपस्थिति में प्रत्येक सप्ताह बच्चों के सुझावों की जांच करता है। नियम में यह भी है कि अध्यक्ष प्रबंधन समिति की एक आपातकालीन बैठक बुलाये ताकि जरूरी सुझावों पर निर्णय लिया जा सके। अन्य सदस्यों के आलावा बच्चों की समिति के दो सदस्य ऐसी आपातकालीन बैठक में भाग ले सकते हैं। सुझाव के पिटारे से जो सुझाव प्राप्त होते हैं और आपातकालीन बैठक के आधार पर किये गए कार्यों पर समिति की मासिक बैठक में समीक्षा की जाती है।

- **बच्चों के सुझावों की किताब:** ऊपर दिए गए नियम के अनुसार प्रत्येक बच्चों की देखरेख की संस्था को एक बच्चों के सुझावों की किताब रखना आवश्यक है ताकि शिकायतों को लिखा जाये और प्रबंधन समिति के द्वारा उठाये गए कदमों का। यह विवरण बच्चों की समिति को बताये जाते हैं; बाल सुझाव पुस्तिका (सीएसबी) की समीक्षा महीने में कम–से–कम एक बार की जाती है।
- **बच्चों की समिति:** बच्चों की समिति की प्रणाली एक तरीका है बच्चों को संस्था के निर्णय लेने की प्रक्रिया में संलग्न करने का। जेजे रूल्स 2016 की धारा 40 के अनुसार प्रत्येक सीसीआई को तीन अलग–अलग आयु के बच्चों के लिए समितियां बनाने में सहायता करनी चाहिए आयु के समूह यह हैं: 6–10 वर्ष, 11–15 वर्ष और 16–18 वर्ष। महत्वपूर्ण बात है की बच्चों की समितियां में केवल बच्चे होंगे। प्रबंधन समिति में भाग लेने की प्रक्रिया के आलावा, इन बातों के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाता है:
  - ✓ सीसीआई की स्थिति में सुधार
  - ✓ देखरेख के मानकों की समीक्षा
  - ✓ रोजमर्रा का रूटीन बनाना और आहार का स्तर तय करना
  - ✓ शिक्षा, व्यावसयिक प्रशिक्षण और मनोरंजन के प्लान बनाना
  - ✓ खुदबाखुद मुश्किलों से लड़ना
  - ✓ साथी बच्चों और देखरेख करने वालों द्वारा शोषण किये जाने की रिपोर्ट देना
  - ✓ वाल पेपर्स, पेंटिंग और पत्रिका द्वारा अपने दृष्टिकोण सामने रखना

  प्रक्रिया को आसान करने के रूप में बच्चों की देखरेख की संस्थाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि समितियों की प्रत्येक महीने बैठक हो, उनके विवरण रखे जाएँ और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश, समर्थन, कागज, आदि दिए जाएँ।

बच्चों का संस्थागत प्रबंधन

सीसीआई में आवास की श्रेणियां

उन बच्चों के लिए जिनकी कानून से भिड़ंत है	उन बच्चों के लिए जिन्हे देखरेख और सुरक्षा की जरुरत है
1. सुरक्षा की अभिरक्षा 2. रात का सुरक्षित आवास 3. पुनर्वास का निवास	1. रात का सुरक्षित निवास 2. पुनर्वास का निवास

निवास की तीनों श्रेणियों का निहितार्थ है:

सुरक्षा की अभिरक्षा: यह जॉच के दौरान लंबित अवधि का निवास है।

रात का सुरक्षित निवास: यह रात के आठ बजे से लेकर अगले दिन 2 बजे तक का निवास है। यह सुविधा देकर बच्चे को अन्य किसी अनुचित स्थान पर रहने की आवश्यकता नहीं होती।

पुनर्वास का निवास: यह बच्चों के घर के आवास से सम्बंधित है, या विशेष घर या सुरक्षित घर और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) या बाल न्यायालय द्वारा, बच्चे को उसके निवास के दौरान पुनर्वास का कार्ड प्रारूप 14 दिया जायेगा जो उसके रहने की अवधि वतायेगा।

बच्चे को दाखिले के समय वह प्रक्रियाएँ जिनका अनुसरण करना है (नियम 69F):

बच्चे को प्राप्त करने वाले अफसर को नीचे दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए:

बच्चे का पूरा विवरण उसे दाखिल एवं निकास डायरी में नोट करना चाहिए।

बच्चे की उचित तरीके से खोज की जाती है, और उसका निजी सामान नियम 71 के अनुसार रखा जाता है (जो सामान उसकी जांच या खोज के दौरान मिलता है) और नियम 72 (वस्तुओं का निस्तारण)।

यदि बच्चा भूखा है तो बच्चे को खाने–पीने को दिया जाता है।

यदि बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, उसे कोई चोट लगी है, उसे कोई मानसिक बीमारी है, या कोई लत है तो उसे जरूरी डॉक्टरी चिकित्सा दी जाती है।

बच्चे को विशेष रूप से अलग अंकित किये गए कमरे या कक्ष में रखा जाता है यदि उसे कोई संक्रामक रोग है जिसमे सावधानी बरतने के आवश्यकता है।

बच्चे की आवश्यक जरूरतों का विवरण बनाया जाता है, जैसे, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में उसकी उपस्थिति, या यदि उसे परिवार के किसी सदस्य से संपर्क करना हो, और इन बातों को बाल कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ) या मामला कार्यकर्ता (सीडब्ल्यू) के समक्ष रखा जाता है जिसे उस बच्चे के लिए नियुक्त किया गया है। विवरण को बच्चे की मामला निगरानी पत्र में रखा जाता है।

प्रत्येक बच्चे को पहले 14 दिनों के लिए सीसीआई के रिसेप्शन कक्ष में रखा जाता है, जिसके दौरान वह यहाँ रहने का अभ्यस्त हो जाता है।

बच्चे को दाखिले के बाद जिन प्रक्रियाओं का अनुसरण करना होता है (नियम 69G):

जिस दिन बच्चे को दाखिल किया जाता है या यदि वह रात में आया है तो अगले दिन जिन प्रक्रियाओं का अनुसरण करना होता है, वह नीचे दी गयी हैं:

बच्चे की फोटो ली जाती है. एक फोटो मामला निगरानी पत्र में रखी जाती है, एक इंडेक्स कार्ड में रखी जाती है, एक एल्बम में और एक को सीडब्ल्यूसी या जेजे और डीसीपीयू को भेजा जाता है। तस्वीर को निर्धारित मंच पर अपलोड भी किया जाता है।

बच्चा नहा सकता है, प्रसाधन का सामान, नए कपडे, बिस्तर और अन्य उपकरण बच्चे को जारी किये जाते हैं– जेजे नियमों के नियम 30 के अनुसार और इन वस्तुओं की सूची मामला निगरानी पत्र में रखी जाती है।

बच्चे को बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) के बारे में बताया जाता है और यहाँ कार्य कैसे किये जाते हैं (जैसे यहाँ का अनुशासन, रोजमर्रा का रूटीन, अधिकार और दायित्व, निजी स्वास्थ्य, आदि)

बच्चे की चिकित्सीय अफसर द्वारा जाँच होती है, और बच्चे की स्वास्थ्य की स्थिति जिसमें उसके शरीर पर कोई चोट या घाव का निशान, अदि का विवरण बनाया जाता यही और मेडिकल रिकॉर्ड में रखा जाता है।

सीसीआई द्वारा बच्चे को एक सीडब्ल्यूओ या सीडब्ल्यू नियुक्त किया जाता है।

बच्चे को दाखिल करने के 14 दिनों के अंतर्गत जिन प्रक्रियाओं का अनुसरण करना होता है, वह नीचे दी गयी हैं (नियम 69H)

नियुक्त किया गया सीडब्ल्यूओ या सीडब्ल्यू बच्चे के साथ जितनी हो सके बातचीत करता है।

यदि जरुरत है तो दो दिनों के अंदर बच्चे की जाँच डॉक्टरों के पैनल द्वारा कराई जा सकती है। इसका उद्देश्य है उसकी शारीरिक, डॉक्टरी, मनोवैज्ञानिक स्थिति का आंकलन करना और यदि कोई लत है तो उसका, ताकि बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में पता चले और उसकी पुनर्वास योजना के लिए इनपुट्स मिल सकें।

सम्बंधित सीडब्ल्यूओ या सीडब्ल्यू उन संसाधनों के साथ मिलता है जो उपलब्ध होते हैं, जैसे, परिवार के सदस्य, दोस्त, रिश्तेदार, नियोजक, समुदाय के लोग, इसका उद्देश्य है प्रारूप 43 में उसकी पूर्ववृति बनाना और उसे बच्चे की मामला निगरानी पत्र में लगाना।

सम्बंधित सीडब्ल्यूओ या सीडब्ल्यू परीक्षाओं और साक्षात्कार के आधार पर बच्चे के शैक्षिक स्तर और व्यावसायिक क्षमता का आंकलन करते हैं। अन्य विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिकों के साथ और अस्पतालों और एनजीओ के साथ जोड़ स्थापित करते हैं।

सीसीआई द्वारा बच्चे को एक सीडब्ल्यूओ या सीडब्ल्यू नियुक्त किया जाता है।

पहले 14 दिनों की समाप्ति पर जो प्रक्रिया करनी होती है (नियम 69I)

बच्चे को एक नियमित कक्ष में रख दिया जाता है, उसे उसका बिस्तर, अलमारी, और पढ़ने की टेबल दी जाती है। यह सब बच्चे के आयु और उसके अपराध की प्रवृत्ति और उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था के अनुसार किया जाता है। जिन बच्चों को विशेष देखरेख चाहिए होती है उन्हें एक अलग कक्ष दिया जाता है।

बच्चे की पूर्ववृति, शिक्षा का स्तर और व्यावसयिक क्षमता के अनुसार एक व्यक्तिगत देखरेख की योजना बनायीं जाती है। जो बच्चे पुनर्वासन निवास के अंतर्गत हैं वहां देखरेख की योजना आवास की पूरी अवधि को कवर करती है; और सीडब्ल्यूसी जेजेबी और बाल न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखती है। निजी देखरेख की योजना बनाने के लिए जेजे नियमों, 2016 के प्ररूप 7 एक प्रयोग किया जाता है।

निजी देखरेख की योजना की समीक्षा सीडब्ल्यूओ या सीडब्ल्यू द्वारा की जाती है।

सीडब्ल्यूओ या सीडब्ल्यू उन मुश्किलों का विवरण रखता है जो सीसीआई में रहने के दौरान बच्चे के सामने आते हैं। सीडब्ल्यूओ या सीडब्ल्यू सीसीआई के प्रति बच्चों की शिकायतों का विवरण रखता है।

सीसीआई में पहले 3 महीनों में रहने की अवधि में निजी देखरेख की योजना की समीक्षा प्रत्येक 14 दिनों में की जाती है और तीन महीने की अवधि समाप्ति के बाद, हर महीने एक बार।

तीन महीनों के बाद कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करना है (नियम 69J)

निजी देखरेख की योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बच्चे की प्रगति की जांच की जाती है।

सीसीआई की प्रबंधन समिति बच्चों की त्रैमासिक रिपोर्ट देखती है।

इसके बाद निजी देखरेख की योजना, रोजमर्रा की रूटीन और बच्चे के पुनर्वास के रवैय्या को उचित रूप से बदला जाता है और मामला निगरानी पत्र में नोट किया जाता है। बच्चे की प्रगति पुनर्वास के कार्ड में प्ररूप 14 में नोट की जाती है।

सीसीआई से बच्चे को छोड़ने के बाद किस प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है (नियम 79)

वह व्यक्ति जो सीसीआई का दायित्व रखता है उन मामला निगरानी पत्र का रजिस्टर रखता है जिन बच्चों को रिहा करना होता है।

बच्चे को रिहा करने की जानकारी जिसमें निर्धारित तिथि दी होती है बच्चे के माता–पिता या अभिभावक को दी जाती यही। उन्हें बच्चे को ले जाने के लिए सीसीआई बुलाया जाता है, और बच्चे का और यदि आवश्यक हो उसके माता–पिता या अभिभावक का दोनों ओर का खर्च दिया जाता है।

यदि रिहा करने की तिथि रविवार या सार्वजानिक छुट्टी वाले दिन पड़ रही है, तो बच्चे को पहले दिन छोड़ा जा सकता है।

यदि माता–पिता या अभिभावक बच्चे को ले जाने से चूकते हैं, तो सीसीआई से कोई साथी (लड़की के मामले में महिला साथी) बच्चे को उसके माता–पिता या अभिभावक के यहाँ ले जाता है।

वित्त और गैर–वित्त से सम्बंधित नियमः

- बच्चे को दो जोड़ी उचित कपड़े दिए जाते हैं और आवश्यक प्रसाधान का सामान।
- 18 वर्ष की आयु का होने के बाद, और यदि योग्य है तो बच्चे को पाश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रम में रख दिया जाता है। इसमें बच्चे की सहमति चाहिए होती है और बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय का अनुमोदन।
- उचित मामलों में जो व्यक्ति इन बातों के लिए नियुक्त है वह वहन करने योग्य पैसे और रेल/सड़क का किराया दे सकता है।
- यदि एक लड़की के पास जाने का कोई स्थान नहीं है और वह सीसीआई को आवेदन देती है की उसकी अवधि पूरी होने के बाद भी उसे सीमित समय के लिए जब तक की उसका कोई उचित प्रबंध नहीं हो जाता, वहां रहने दिया जाये तो उसे सीडब्ल्यूसी या जेजेबी या बाल न्यायालय के अनुमोदन से अनुमति मिल जाती है।

बच्चे का आचरण

आचरण बच्चे के अलंकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। जेजे नियमों के नियम 69 के अंतर्गत सीसीआईएस को बच्चों को प्रशिक्षण देना चाहिए कि वह अच्छे आचरण के नियमों और मानकों का अनुसरण करें। बाल समिति प्रत्येक अनुचित आचरण को नोट करती है और बच्चे से उसका कारण पूछ सकती है। बाल समिति सीसीआई के प्रभारी व्यक्ति से उचित गतिविधि करने को कह सकती है। घटना के विवरण और कार्रवाई की रिपोर्ट 24 घंटों के अंदर सीडब्ल्यूसी या जेजेबी या बाल न्यायालय को प्रस्तुत की जाती है। रिपोर्ट की एक प्रति सीसीआई के प्रबंधन समिति के समक्ष भी रखी जाती है जो दीर्घ अवधि की रोकथाम की नीति बनाता है। ऐसे मामलों से निपटते समय बच्चे की सुरक्षा और उसकी इज्ज़त को पूरा तव्वजो दिया जाता है। ऐसे बच्चों के व्यवहार से निपटने के लिए जो प्रभारी व्यक्ति है वह सलाहकार या सीडब्ल्यूओ या सीडब्ल्यू या एनजीओ की सहायता भी ले सकता है।

ऐसे व्यवहार से निपटने के लिए नियम 69छ नीचे दिए गये कदम निर्धारित करता हैः

- ✓ औपचारिक चेतवानी
- ✓ गृह व्यवस्था से संबंधित कार्य
- ✓ बच्चे से यह लिखवाना कि वह ऐसा व्यवहार दोबारा नहीं करेगा
- ✓ टेलीविजन देखने, खेल–कूद और मनोरंजक गतिविधियों में प्रतिबन्ध लगाना

लेकिन नियम इस बात की fcydqy vuqefr ugha nsrs dh cPps dk 'kkjhfjd ;k ekufld :i ls çrkMk tk;s जिससे उसकी इज्ज़त को ठेस लगे। जेजे नियम 2016 न केवल अच्छे व्यवहार का दायरा बताते हैं, बल्कि सीसीआई को भी यह सलाह देते हैं कि बच्चों को अच्छे व्यवहार के लिए buke दिया जाये।

जेजे नियमों के अनुसार अन्य बातों के आलावा बहुत अच्छे व्यवहार में शामिल हैं यह सब बातें:

- अनुशासन और रूटीन के नियमों का अनुसरण
- अपने साथी बच्चों को हिंसक और अनुचित व्यवहार करने से रोकना
- दूसरे बच्चों को सदमे से बाहर आने में मदद करना
- जो प्रभारी व्यक्ति है उसे किसी प्रतिबंधित या गैर–कानूनी वस्तु के बारे में बताना
- पढ़ाई और प्रशिक्षण में बहुत अच्छा प्रदर्शन
- सकारात्मक और अनुनायी व्यवहार

बच्चे का शोषण और उसके साथ बुरा व्यवहार

बच्चों की देखरेख की संस्थाओं को बच्चों के साथ हो रहे शोषण, लापरवाही और बुरे व्यवहार से उन्हें बचाना चाहिए– वहां के कर्मचारियों को बच्चों के अधिकारों और उनके सम्मान के प्रति संवेदनशील बनाकर, ऐसे मामलों का जल्दी पता लगाना चाहिए और उनसे उचित तरीके से निपटना चाहिए। जेजे नियमों का नियम 76 वह उपाय निर्धारित करता है यदि बच्चे का शारीरिक, यौन या मानसिक शोषण हो रहा हो जसिमें शामिल है उसके प्रति लापरवाही, जैसा नीचे दी गयी चार्ट में दिखाया गया है।

बच्चों की संस्थागत देखरेख के अन्य पहलू

बच्चों की देखरेख की संस्थाओं को निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए और अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने चाहियें। उनसे अलग इन गतिविधियों में मुख्य रूप से बच्चों की बेहतरी है, जसिमें शामिल हैं 'मूल अधिकार और जरूरतें, पहचान, सामाजिक अच्छे और शारीरिक, भावात्मक और मानसिक विकास'।

नीचे दी गयी तालिका संस्थागत देखरेख के अन्य पहलुओं की सूची दे रहा है जैसेः जेजे रूल्स 2016 और जेजे एक्ट 2015 में दिए हैं

देखरेख का अंश	प्रकार और दायरा
मामला निगरानी पत्र को संजो के रखना (नियम 73)	मामला निगरानी पत्र जिसमें विस्तृत जानकारी होती है उसे गुप्त रखा जाता है। उसमें अन्य बातों के आलावा उस व्यक्ति या अधिकरण की रिपोर्ट होगी जिसने सीडब्ल्यूसी के समक्ष बच्चा प्रस्तुत किया, पुलिस रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) की प्रति, रोज की डायरी एंट्री, फोटो–पहचान (यदि उपलब्ध है तो), सीडब्ल्यूओ या सीडब्ल्यू के नियुक्त होने का आदेश, बच्चे का सामाजिक–मनोवैज्ञानिक चित्रण, निजी सामान का रजिस्टर, पुनर्वास कार्ड, तिमाही प्रोग्रेस रिपोर्ट, बच्चे द्वारा दिया गया फीडबैक, वार्षिक फोटो।
रजिस्टरों का रख–रखाव (नियम 77)	यह नियम 25 रेजिस्टरों की सूची देता है जिन्हे सीसीआई को रखने की आवश्यकता है। सूची में प्रत्येक रजिस्टर के लिए, उस अधिकारी का पद जो उसे रखता है और वह जो उसे अपने पास संभालता है। खाने के रजिस्टर और विजिटर (आगंतुक) के रजिस्टर के आलावा अन्य सभी रजिस्टर प्रभारी व्यक्ति के पास रहते हैं। जो अधिकारी रजिस्टर बना कर रखते हैं वह विशेष रूप से उस कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के लिए, बहीखाता खाता अफसर द्वारा रखा जाता है, परामर्श का रजिस्टर परामर्शी अफसर द्वारा आदि।
खुलापन और पारदर्शिता (नियम 78)	सीसीआईएस में आने वाले आगंतुक जेजेबी या सीडब्ल्यूसी या प्रभारी व्यक्ति की अनुमति से आ सकते हैं। अन्य लोगों के आलावा आगंतुक में शामिल हैं स्वैछिक संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ता, अनुसंधानकर्ता और शिक्षक, प्रभारी व्यक्ति को स्थानीय लोगों को भी संलग्न करना चाहिए या संयुक्त क्षेत्र को ताकि सीसीआई की स्थिति में सुधार हो। प्रभारी व्यक्ति इस बात का जिम्मेदार होता है कि आगंतुक बच्चों के स्वाभिमान को ठेस न पहुंचाएं।
प्रतिबन्ध वस्तुएं (नियम 70)	प्रकार और दायरा–कोई भी व्यक्ति सीसीआई में यह सब वस्तुएं नहीं ला सकताः • नशीले पदार्थ, शराब, भांग, गांजा, अफीम, चरस, आदि • कोई भी विस्फोटक पदार्थ, जहरीला पदार्थ, एसिड और रसायन • सभी शस्त्र, चाकू और काटने के उपकरण • कोई भी अश्लील सामान • रस्सी, रस्सा, चेन या कोई भी चीज जिसे रस्सी में बदला जा सकता है • लकड़ी, बम्बू, छड़ी, सीढ़ी, ईंटें, पत्थर और किसी भी प्रकार की मिटटी • ताश या जुआं खेलने की अन्य वास्तु • तम्बाकू के पदार्थ, पान–मसाला या ऐसा कोई पदार्थ • दवा जिसे विहित नहीं किया गया है • राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कोई वस्तु सभी सोने और चॉदी का सामान, रुपैया, आभूषण, प्रतिभूतियां और मूल्यवान सामान जैसे मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, आईपैड, आदि सीसीआई के अभिरक्षण में रखने होते हैं।

देखरेख का अंश	प्रकार और दायरा
प्रबंधन समिति के अंग और उसका कार्यान्वन (नियम 39)	प्रत्येक सीसीआई की प्रबंधन समिति में जिले का जिला बाल संरक्षण अधिकारी होगा जो अध्यक्ष होगा, प्रभारी व्यक्ति होगा जो सदस्य सचिव होगा, और यह सब सदस्य होंगे– परिवीक्षा अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी, मामला कार्यकर्ता, चिकित्सा अधिकारी, सलाहकार, कार्यशाला पर्यवेक्षक, व्यवसायिक अनुदेशक, अध्यापक सदस्य, जेजेबी/सीडब्ल्यूसी सामाजिक कार्यकर्ता और प्रत्येक बाल समिति से दो बाल–प्रतिनिधि सदस्य। प्रबंधन समिति महीने में कम–से–कम एक बार मिलेगी ताकि सभी मामलों की समीक्षा करे जैसे, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य जिसमें शामिल है मानसिक स्वास्थ्य, खाना–पीना, मनोरंजन, कानूनी सहायता, व्यसायिक प्रशिक्षण, रिहाई, वापसी, पुनर्वास, रोज की दिनचर्या, समुदाय में भागीदार, आदि।
बच्चों से मिलने जाना और उनसे बातचीत करना (नियम 74)	बच्चों के माता–पिता और रिश्तेदारों को सप्ताह में 1 बार उन्हें मिलने की अनुमति है। यदि बच्चा नया–नया आया है, तो माता–पिता, अभिभावक, रिश्तेदार पहली बार कभी भी मिलने आ सकते हैं। बच्चों को ऐसे माता–पिता, रिश्तेदार, अभिभावक से मिलने की अनुमति नहीं है जो किसी शोषण या दुर्ब्यवहार के मामले में दोशी पाए गए हैं या बच्चे के विरुद्ध हिंसा की हो या प्रतिबन्ध वस्तुएं रखे पाए गए। लेकिन, यह मुलाकात जेजेबी या सीडब्ल्यूसी या बाल न्यायालय या बच्चे के सलाहकार के निर्देश के अंदर हो सकती है। बच्चे अपने माता–पिता, रिश्तेदारों को सप्ताह में दो चिट्ठी लिख सकते हैं। जो प्रभारी व्यक्ति है वह बच्चे को या उसके द्वारा किसी भी चिट्ठी को पढ़ सकता है और उसे बच्चे को या माता–पिता को देने से मना कर सकता है। इसके लिए उसे बच्चे की मामला निगरानी पत्र में कारण देना होगा, और मामले का विवरण सीसीआई की प्रबंधन समिति के समक्ष रखी जाएगी और एक प्रति जेजेबी या सीडब्ल्यूसी या बाल न्यायालय को भेजी जाएगी। बच्चों को अनुमति होती है कि वह सीडब्ल्यूओ या सीडब्ल्यू या परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख के अंदर अपने माता–पिता या अभिभावकों से सप्ताह में एक बार फोन पर बात कर सकें, इसमें विवरण होते हैं की आगंतुक अपनी पहचान दे और उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तुएं न हों।
बच्चे की मृत्यु (नियम 75)	मृत्यु या आत्म–हत्या के मामले में सीसीआई को सुनिष्चित करना चाहिए कि जल्दी–से–जल्दी शव का पोस्ट–मोर्टेम कराया जाये। मामला कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी तुरंत प्रभारी व्यक्ति को सूचना देता है और चिकित्सा अधिकारी तुरंत सबसे नजदीक पुलिस स्टेशन, जेजेबी या सीडब्ल्यूसी और बच्चे के माता–पिता, अभिभावक, रिश्तेदार को सूचना देता है। स्वाभाविक मृत्यु या किसी बीमारी के कारण मृत्यु के मामले में प्रभारी व्यक्ति एक मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करता है जिसमें मृत्यु का कारण और एक लिखित सूचना सबसे नजदीक पुलिस स्टेशन, जेजेबी या सीडब्ल्यूसी और माता–पिता, अभिभावक, रिश्तेदार को भेजी जाती है। यदि बच्चे की मृत्यु सीसीआई में प्रवेश पाने के 24 घंटों के अंदर हो जाती है तो प्रभारी व्यक्ति पुलिस को इस बात की सूचना चिकित्सा अधिकारी को या सबसे नजदीक अस्पताल को और बच्चे के माता–पिता या अभिभावक या रिश्तेदारों को देगा। मृत्यु की जांच पूरी होने पर शव को माता–पिता या अभिभावक या रिश्तेदार के हवाले कर दिया जायेगा। यदि शव को लेने वाला कोई नहीं है तो अंतिम संस्कार सीसीआई द्वारा बच्चे के धर्म के अनुसार कर दिया जायेगा।

देखरेख का अंश	प्रकार और दायरा
बच्चे को कोई बीमारी है या सम्बंधित मामला (नियम 80)	एक बच्चा जिसे लम्बे समय तक चिकित्सा की जरुरत है (जैसे मानसिक बीमारी, नशीले पदार्थों की लत, शराब, अदि) सीडब्ल्यूसी या जेजेबी या बाल न्यायालय बच्चे को निर्धारित अवधि के लिए उचित सुविधा के स्थान पर भेज सकते हैं। यह आदेश एक चिकित्सा अधिकारी या प्रभारी व्यक्ति या परिवीक्षा अधिकारी या सीडब्ल्यूसी या सीडब्ल्यू की संस्तुति पर आधारित होता है। ठीक होने के बाद सीडब्ल्यूसी या जेजेबी या बाल न्यायालय बच्चे को वापस भेज देते हैं या छुट्टी कर देते है अगर घर में भेजने की आवश्यकता तब तक खत्म हो जाती है।
बच्चे को छुट्टी प्रदान करना (धारा 98, जेजे एक्ट 2015)	बच्चों को छुट्टी जाने की अनुमति होती है या उन्हें देख–रेख के अंतर्गत छोड़ा जाता है–विशेष अवसरों पर जैसे परीक्षा, शादी–ब्याह, मृत्यु, गंभीर बीमारी या अन्य आपातकालीन स्थितियाँ, यह छुट्टी सामान्य रूप से 7 दिनों के लिए दी जाती है, इसकी अनुमति सीडब्ल्यूसी या जेजेबी द्वारा दी जाती है।
राज्य सरकार द्वारा जांच (नियम 41 और जेजे एक्ट 2015 की धारा 54) और आंकलन (नियम 42)	राज्य सरकारों को राज्य और जिले के लिए उस सीसीआई के लिए विशेष जांच की समितियां बनांनी होती हैं जो जेजे एक्ट 2015 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। जबकि जांच तीन महीने में एक बार की जाती है, रिपोर्ट डीसीपीयू और राज्य सरकार को एक सप्ताह के अंदर दी जाती है और कार्यवाही एक महीने के अंदर की जाती है। सीसीआईएस का आंकलन केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा तीन साल में एक बार किया जाता है। इसका उद्देश्य है इन्हे मजबूत बनाना और इनके कार्यान्वन में सुधार लाना।
सीसीआई के लिए कार्यकर्तागण (नियम 26)	यह नियम कर्मचारियों को रखने से निपटता है, जैसे बच्चों की श्रेणियां, सीसीआई की क्षमता, कार्यों का प्रकार, कार्य कितने घंटों का है, आदि। जबकि मुख्य कर्मचारियों में शामिल हैं प्रभारी व्यक्ति, परिवीक्षा अधिकारी/सीडब्ल्यूओ/सीडब्ल्यू सलाहकार, मनोवैज्ञानिक, मानसिक स्वास्थ्य का विशेषज्ञ, हाउस मदर, हाउस फादर परचिकित्सीय कार्यकर्ता, स्टाफ नर्स, नर्सिंग अर्दली और स्टोर कीपर, खाताकार, शिक्षक, चिकित्सा अधिकारी कला और शिल्प और कार्यकलाप अध्यापक और पीटी अनुशिक्षक–सह–योग प्रशिक्षक को कुछ समय के लिए काम पर रख सकते हैं। नियम के अनुसार 10 बच्चों की क्षमता के सीसीआई के लिए पैटर्न का सुझाव देता है। कुछ अन्य शर्तें इस प्रकार से हैं: • जिन सीसीआईएस में लड़कियां रहती हैं उनमें केवल महिला प्रभारी और कर्मचारी रखे जा सकते हैं • जो लोग सीसीआई से जुड़े हैं वह किसी अपराध में अभियुक्त नहीं होने चाहियें या किसी अनैतिक क्रिया में संलग्न नहीं होने चाहियें, बच्चों के शोषण, बच्चों से काम करवाने में, नैतिक पतन या इस दौरान किसी राजनैतिक कार्यालय या पद पर नहीं होने चाहिएं • पुलिस प्रमाणीकरण के बिना किसी को भी सीसीआई में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए • वह सीसीआई जिनमें नवजात बच्चे रखे जाते हैं, उन्हें आया और परचिकित्सीय कर्मचारी रखने चाहिएं

पुनर्वासन और एकीकरण

क्यूंकि बच्चों की देखरेख की सेवाएं अधिकारों पर आधारित हैं और बच्चों के सम्पूर्ण विकास पर ध्यान देती हैं, बच्चों का पुनर्वासन और एकीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब तक वह बच्चे जिनकी कानून के साथ भिड़ंत है और वह जिन्हे देखरेख की जरुरत है पूर्ण रूप से समक में एकीकृत नहीं होते, उनका सामना बाद में मुश्किल परिस्थितियों से होता रहेगा, जैसे, कम आत्म–विश्वास, मानसिक सवास्थ्य की मुश्किलें, बेरोजगारी, कम आय, और लोगों के साथ ताल–मेल की कमी, आदि।

जेजे एक्ट 2015 ऊपर दी गयी परिस्थितियों को सम्बोधित करती है जिनसे सीसीआई इन बच्चों का पुनर्वासन और एकीकरण कर सके, इसके विवरण नीचे दिए गए हैं:

जेजे एक्ट 2015 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं में पुनर्वासन और एकीकरण

i. निर्धारित मानकों के अनुसार मूल जरूरतें जैसे खाना, कपड़े, निवास और चिकित्सा की सेवाएं

ii. व्हील–चेयर, नकली टांग और हाथ, सुनने के उपकरण, ब्रेल किट, विशेष जरुरत वाले बच्चों के लिए उचित सहायक यंत्र और उपकरण

iii. उचित शिक्षा, जिसमें शामिल है विशेष शिक्षा और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए उचित शिक्षा (बशर्ते कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए) 'बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का अधिकार' 2009 के प्रावधान लागू होंगे)

iv. हुनर का विकास

v. व्यवसायगत चिकित्सा और जीवन हुनर की शिक्षा

vi. मानसिक स्वास्थ्य की मध्यस्थता, जिसमें शामिल है सलाहकारी सेवाएं जो बच्चे की विशेष जरूरतों के लिए हैं

vii. मनरंजक क्रियाएँ, जिनमें शामिल हैं खेल–कूद और सांस्कृतिक गतिविधियां

viii. कानूनी सहायता

ix. शिक्षा के लिए रेफरल सेवाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षा, लत से बाहर लाना और बीमारियों का इलाज

x. केस मैनेजमेंट जिसमें शामिल है तैयारी और निजी देखरेख की योजना का फॉलोअप

xi. जन्म रजिस्ट्री

xii. यदि जरुरत हो तो पहचान का प्रमाण पाने में सहायता

xiii. अन्य कोई भी सेवा जो बच्चे की भलाई के लिए दी जा सकती है, या तो सीधा राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा या रेफरल सेवाओं द्वारा

श्रोतः धारा 53(1), जेजे अधिनियम, 2015

मुख्य बातें: देखरेख, पुनर्वासन और समाज के साथ बच्चे का एकीकरण कराना सीसीआई के मुख्य कार्यों में से है। कार्यों का जोर बच्चों के अधिकारों, उनके सम्पूर्ण विकास और गैर–भेदभावी तरीके से होता है।

देखरेख के व्यवसायिक कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं

देखरेख की संस्थाओं में उन बच्चों से निपटना जिन्होंने जीवन में विभिन्न मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है, एक चुनौती भरा काम है। यह बात ध्यान में रखनी जरूरी होती है कि यह बच्चे बहुत संवेदनशील और असहाय होते हैं, जिसके कारण इनके समीप रहने वाले लोग इनका फायदा उठा सकते हैं। देखरेख की संस्थाओं में की गयी जांचें और अन्य मामले यह दिखाते हैं की बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावात्मक शोषण उनकी देखरेख करने वालों के हाथों होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि वह नीचे दी गयी बातों का अनुसरण करें जो बताती हैं की उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं जो कानून, तर्क और सबसे महत्वपूर्ण रूप से बच्चों के अधिकारों के अनुसार उचित हैं।

क्या करना चाहिए

- हमेशा देखरेख के मूल सिद्धांतों द्वारा मार्ग दर्शन पाईये, जैसा जेजे एक्ट के अध्याय II में दिया गया है (अनुलग्न)
- आपके सभी कार्य बच्चों के अधिकारों को देखते हुए किये जाने चाहिएं
- देखरेख की संस्थाओं के निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य करिये
- यह सुनिष्चित करिये की सभी गतिविधियां और प्रक्रिआएं एक संवेदनशील और बच्चों के लिए अनुकूल परिवेश में की जा रही हैं
- बच्चों की देखरेख में जो आधुनिक बातें हैं उनसे अवगत रहिये–इनमें शामिल हैं कानून, नियम और दिशानिर्देश
- हमेशा अपने कार्य पर ध्यान दीजिये और यह सुनिष्चित करिये की आपका शारीरिक, मानसिक और चित्त–वृत्त स्वस्थ है

क्या नहीं करना चाहिए

- बच्चे को किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना मत दीजिये
- कोई ऐसा काम नहीं करिये जो बच्चों की मूल देखरेख और उनकी सुरक्षा के विरुद्ध है
- कोई भी तथ्य को छुपाइये मत–चाहे वह सुनने में अच्छा न लगे
- ऐसे उपायों को लागू मत करिये जो संस्थागत देखरेख के विरुद्ध हैं
- बच्चे की रचनात्मकता को दबाइये मत और संस्था को चलाने में नवीनता लाईये
- अपनी भावनाओं को तर्क के आड़े मत आने दीजिये।

मुख्य सीखः बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों को प्रोत्साहन और कानून और देखरेख के मानक और तर्क कुछ कार्यों को करने और नहीं करने का आधार प्रदान करते हैं जिनका पालन देखरेख के व्यवसायिकों को करना चाहिए।

भारत और दुनिया भर में संस्थागत देखरेख के कुछ उदाहरण

नीचे बच्चों की देखरेख के वह उदाहरण दिए गए हैं जिनका भारत और पूरे विश्व में अनुसरण होता है। इन संस्थाओं की नवीनता इस बात में है कि यह कैसे पारिवारिक देखरेख को संस्थागत देखरेख के सकरतात्मक पहलुओं से जोड़ती हैं या कैसे अपनी सेवाऐं प्रदान करती हैं।

एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेज– बच्चों की देखरेख का एक अनुपम नमूना

एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेजस ऑफ इंडिया देश में 1964 से संस्थागत रूप से बच्चों की देखरेख कर रहा है। इसका जो मॉडल है वह घर जैसा परिवेश देता है जो नीचे दिए गए 4 e[; fl)krk पर आधारित है:

माँ: प्रत्येक बच्चे की देखरेख करने वाले माता या पिता।

भाई–बहन: प्रत्येक बच्चे के पारिवारिक बंधन होते हैं और वह दायित्व बोध और मिल–बाँट कर रहने के भाव के साथ बड़े होते हैं।

घर: एक ऐसा स्थान जहाँ बच्चा सुरक्षित महसूस करता है और उसे लगता है कि यह जगह उसकी है।

विलेज (गांव): एक समुदाय जिसमें बच्चा रहता है ताकि वह उस स्थान को अपना जन्म स्थान समझे।

मॉडल के अनुसार प्रत्येक एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेज में कुछ घर होते हैं जिन्हें बच्चे अपना घर मानते हैं। प्रत्येक एसओएस परिवार में 14 वर्ष की आयु तक के करीब 10 लड़के और लड़कियां और एसओएस माँ होती है, जिसका कार्य होता है बच्चों की देखरेख करना और उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से समर्थन देना। माँ घर को संभालती है जैसा अन्य किसी घर में होता है। 14 वर्ष का होने के बाद, लड़कों को युवा घरों में भेज दिया जाता है। प्रत्येक एसओएस विलेज एक गांव जैसा समुदाय बनाता है, जिसमें बच्चे अपने हम–उम्र बच्चों के साथ मिलते हैं और अपने अनुभव बांटते हैं। यह गांव उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक विकास, व्यवसाय, शादी या अन्य जरूरतों का समर्थन करता है जब तक की वह जीवन में पूरी तरह बस न जाएँ।

पालनाः दिल्ली कौंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, (डीसीसीडब्ल्यू) की एक अनुपम योजना

पालना डीसीसीडब्ल्यू की एक पुरानी और नवीन योजना है जहाँ बच्चों की देखरेख के साथ बच्चों को नए ढंग से स्वागत किया जाता है। पालना में, कंपाउंड के परिसर के बाहर एक पालना रख दिया जाता है ताकि माता–पिता बिना अपनी पहचान दिए अपने बच्चे को वहां छोड़ सकें। जबकि सीसीआइ अधिकांश बच्चे इस तरह पाता है, कुछ बच्चे अस्पतालों और पुलिस द्वारा भी लाये जाते हैं। क्यूंकि बाल कल्याण के लिए दिल्ली परिषद परिवार को अधिक महत्व देता है, पहले वह प्रयास करता है की बच्चे को उसके जन्म देने वाले माता–पिता के पास पहुँचाया जाये। यदि ऐसा नहीं हो पाता, तो उन्हें गोद दिया जाता है। पालना बच्चों के स्वास्थ्य, अनौपचारिक शिक्षा, खाने–पीने, मनोरंजन और अन्य जरूरी सेवाओं की जिम्मेदारी लेती हैं।

सामूहिक देखरेख (thlh) उदयन केयर का एक नवीन तरीका

सामूहिक देखरेख बच्चों की देखरेख का एक नवीन मॉडल है जो एक परिवार का सुख और अपनापन देता है और समुदाय के साथ मेल स्थापित करके संस्थागत देखरेख से जुड़े तनाव को समाप्त करता है।

यह मॉडल एक उपाय पर आधारित है जिसे पारिवारिक पर्यावरण में रहना (एलआईएफई) कहते हैं, जो 6 वर्ष से अधिक उम्र के अनाथ और त्यागे हुए बच्चों को दीर्घ–अवधि की देखरेख प्रदान करता है–,yvkbl,Qbl **उदयन घरों** या **'सनशाइन होम्स'** में, प्रत्येक एलआईएफई उदयन घर, जो एक माध्यम दर्जे के समुदाय के परिवेश में बसा होता है, में एक ही लिंग के 12 से कम बच्चे रहते हैं। जिससे बच्चों को मार्गदिशा देने वाले माता–पिता जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों द्वारा घर जैसा माहौल मिलता है। दूसरे शब्दों में, एक दूसरा परिवार इन बच्चों की देखरेख करता है। इस प्रणाली में माता–पिता के साथ बंधन बनते हैं, समुदाय के साथ, घर में आपसी रिश्ते अच्छे होते हैं, और बच्चे मनोवैज्ञानिक तौर पर स्वस्थ बनते हैं।

उदयन की देखरेख के मॉडल की विशेषताएं

- छोटे अकार के घर जो परिवार जैसे लगते हैं
- निजी संस्थागत देखरेख
- बच्चों की भलाई सुरक्षित और प्रोत्साहित की जाती है
- पालनेवाले माता–पिता जीवन भर की स्वैच्छिक सेवाएं देते हैं
- व्यावसायिक व्यक्ति देखरेख करते हैं
- बच्चों की देखरेख के साथ प्रभावी अनुपालना
- बच्चे घरों में अच्छा महसूस करते हैं–जैसे उनकी देखरेख की जा रही है
- एक प्रभावी पाश्चात्वर्ती देखरेख का कार्यक्रम जो सुनिश्चित करता है कि बच्चा ठीक तरह से जीवन बसर करे
- अनुपम आउटरीच का कार्यक्रम जिसमें बच्चे का समाज में एकीकरण होता है और वह समुदाय के साथ अच्छी भावना बनाता है
- कार्यक्रमों में नवीनता लायी जाती है और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाती है

मिल ग्रोव
लंदन, यूनाइटेड किंगडम

मिल ग्रोव एक निवासी देखरेख के घर का अनुपम उदाहरण है जो समुदाय के साथ मिलकर बच्चों के लाभ के लिए काम कर रहा हैं। यह 1899 में अनुपचारिक पालन परिवार के रूप में अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए शुरू हुआ, जैसा संस्था की पहली रिपोर्ट में कहा गया हैं, "यह प्यार और देखरेख का स्थान है जहाँ वह बच्चे रह सकते हैं जो किसी कारणवश अपने परिवारों के साथ नहीं रह सकते या उन परिवारों के लिए जन्हें साहयता और समर्थन की जरुरत है" 1000 से अधिक बच्चों ने अपना पूरा बचपन या उसका अंश यहाँ गुजारा है और इनमें से अनेक मिल ग्रोव को अपना घर मानते हैं।

मिल ग्रोव 1976 से विशेष रूप से उन स्थानीय परिवारों का समर्थन भी कर रहा है जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं। यहाँ अनेक सुविधाएँ हैं जैसे प्रमस्तिष्क पक्षाधात से ग्रस्त बच्चों के लिए स्कूल।

किड्स अलाइव इंटरनेशनलः बच्चों की देखरेख के विश्व स्तर की पहल

किड्स अलाइव इंटरनेशनल (केएआई) ने 1916 में चीन में अपने कार्य शुरू किये। अब यह 15 देशों में कार्य करता है जिनमें शामिल हैं अफ्रीका, सीए, मिडिल ईस्ट, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, और उन बच्चों पर ध्यान केंद्रित करता है जो अनाथ, त्यागे हुए, शोषण, गरीबी, बीमारी या युद्ध के शिकार हैं। केएआई इन बच्चों की देखरेख अपने निवासी स्कूलों, देखरेख के केंद्रों और स्कूलों के माध्यम से कर रहा है। यह चिकित्सीय केंद्र, आउटरीच प्रोग्राम, जिनमें शामिल हैं आर्थिक विकास के लिए सूक्ष्म–उद्यम के समाधान और कुछ मामलों में आपदा राहत कार्य।

केएआई की मध्यस्थता के तीन मुख्य अंग हैं बेघर बच्चों को बचाना, उनकी शिक्षा की जरूरतें पूरी करना और समुदायों को मजबूत करना।

खतरों का सामना करने वाले रोड पर पल रहे बच्चों के लिए पनाह, सलाह और शिक्षा के प्रोग्राम
–डॉन बोस्को होम्स, लाइबेरिया

लाइबेरिया में डॉन बोस्को होम्स मोनरोविआ में रोड पर रह रहे बच्चों को समर्थन देता है। क्यूंकि देश में लगभग कोई भी किशोर सुधार केंद्र नहीं है, सड़क पर रह रहे बच्चों को जब जेल ले जाया जाता है, तब वह मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत अघात होते हैं। संस्था के आउटरीच कार्यकर्ता रोज 20 पुलिस स्टेशन में जाते हैं ताकि उन बच्चों के लिए कुछ कर सकें जिन्हें उस समय जेल में रखा गया है। डॉन बोस्को होम की सेवाओं में शामिल है इन बच्चों को सलाह देना, इनके स्वास्थ्य की देखरेख, कानूनी सलाह, हुनर का प्रशिक्षण, परिवार से मेल करना, शिक्षा के कार्यक्रम और मनोरंजन की क्रियाएं। शहर के तीन क्षेत्रों में किशोर स्वागत केंद्र या रात आश्रय खोले गए हैं। बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है की वह इन केंद्रों में जाएँ ताकि मुश्किलों से बच सकें। संस्था ने समुदाय, स्थानीय उद्यमियों और पुलिस से भी मेल–जोल स्थापित किया है। एक कार्यक्रम जिसका नाम है कम्युनिटी टीम्स प्रोग्राम भी बड़े बच्चों की मदद से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे फुटबॉल और किक बॉल खेलते हैं और इससे अनेक जीवन के हुनर सीखते हैं जैसे निजी पहल, कार्यक्रमों को आयोजित करना समुदाय में मिलकर रहना। समुदाय के स्तर के जागरूकता कार्यक्रम और आउटरीच कार्यक्रम को बढ़ावा देने की वर्कशॉप भी इसके अंतर्गत आयोजित की जाती हैं।

अनुलग्नक: बाच्चों की देखरेख और सुरक्षा के मूल सिद्धांत

मूल सिद्धांत	अर्थ
यह मानना की बच्चे भोले और निष्कपट होते हैं	यह माना जाता है की 18 वर्ष की आयु तक बच्चों की अपराधी या गलत मंशा की प्रवृत्ति नहीं होती
इज्जत और मूल्य	सभी मनुष्यों को इज्जत और सम्मान दिया जाना चाहिए
भागीदारी	प्रत्येक बच्चे के पास अधिकार होगा कि उसकी आयु और उसकी परिपक्वता को देखते हुए उसकी सुनवाई हो और वह उन प्रक्रियाओं में भाग ले सके जो उसके जीवन को प्रभावित करते हैं
बच्चे की बेहतरी	बच्चे के सम्बन्ध में सभी निर्णय यह लेकर किये जायेंगे की उसकी भलाई सबसे जरूरी है और वह निर्णय उसे उसकी पूरी संभावनाएं प्राप्त कराने में सहायक होंगे
परिवार का दायित्व	बच्चे की देखरेख, सुरक्षा और पालन–पोषण के जो मुख्य दायित्व हैं वह या तो जन्म देने वाले परिवार या दत्तकग्रहण वाले परिवार के होंगे
सुरक्षा	जब तक वह प्रणाली के अंतर्गत है, या उसके बाद भी वह सभी कदम उठाये जायेंगे ताकि बच्चे की सुरक्षा हो उसे कोई तकलीफ या हानि न हो या कोई दुर्व्यवहार न किया जाये
सकारात्मक उपाय	सभी संसाधन जुटाए जायेंगे जिनमें शामिल हैं परिवार और समुदाय ताकि बच्चे की भलाई हो, उसकी पहचान बने, उसे एक सम्मिलित करने वाला परिवेश मिले ताकि उसकी संवेदनशीलता कम हो और इस एक्ट, (जेजे एक्ट, 2015) के अंतर्गत मध्यस्थता की आवशयकता न पड़े
दाग न लगने देने वाले शब्द	बच्चे के सम्बन्ध में ऐसे शब्द नहीं प्रयोग किये जाने चाहियें जिनका विपरीत अर्थ हो या अपमानजनक हों
अधिकारों को त्यागना	बच्चे के किसी भी अधिकार को अस्वीकृत नहीं किया जायेगा–चाहे बच्चे के कहने पर या उसके लिए कोई कहे तो और मूल अधिकार को प्रयोग में नहीं लाना त्याग नहीं होगा
बराबरता और गैर भेद–भाव	बच्चे के विरुद्ध उसके लिंग, जाती, जन्म–स्थान, अयोग्यता या अन्य के आधार पर भेद–भाव नहीं होगा और प्रत्येक बच्चे को अवसर और मौके दिए जायेंगे
निजता और गुप्तता का अधिकार	प्रत्येक बच्चे को सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अपनी निजता और गुप्तता का अधिकार होगा
संस्था में रहना अंतिम उपाय होगा	एक बच्चे को देखरेख की संस्था में अंतिम उपाय के रूप में रखा जायेगा– उचित जांच एक बाद
वापसी और बेहाली	प्रत्येक बच्चा जो जुवेनाइल कस्टडी में है उसे अधिकार होगा कि वह अपने जन्म देने वाले माता–पिता से मिले और उसे वही आर्थिक और सासंकृतिक परिवेश प्राप्त हो जो पहले था, बशर्ते यह उसकी भलाई के लिए है

मूल सिद्धांत	अर्थ
नयी शुरुआत	किसी भी बच्चे के पहले के रिकॉर्ड मिटा दिए जाने चाहियें, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर
उसका मन दूसरी ओर ले जाना	जो बच्चे कानून से भिड़ंत में हैं उनसे जहाँ तक हो सके बिना न्यायिक प्रक्रियाओं का सहारा लिए निपटाया जायेगा, जब तक यह उसकी और समाज की भलाई के लिए है
प्राकृतिक न्याय	न्याय के मूल सिद्धांतों का अनुसरण किया जायेगा, जिसमें शामिल है उचित सुनवाई, भेदभाव के विरुद्ध नियम और समीक्षा का अधिकार –उन सभी व्यक्तियों द्वारा जो इस अधिनियम एक अंतर्गत कार्य कर रहे हैं.

स्रोत: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

संन्दर्भ सूची

Data Management for Effective Implementation of the Juvenile Justice Act, Briefing Paper Series 8, UNICEF (New Delhi, 2011). Available at http://unicef.in/Uploads/Publications/Resources/ pub_doc73.pdf

Grant, Gill. One or the Other- or Both? Child Care Alternatives for Vulnerable Children. Available at http://www.ccih.org/Child_Care_Alternatives_for_Vulnerable_Children.pdf

https://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/Keeping_Children_Out_of_Harmful_Institutions_Final_20.11.09_1.pdf

http://naco.gov.in/upload/2015%20MSLNS/HSS/India%20HIV%20Estimations%202015.pdf

http://timesofindia.indiatimes.com/india/One-lakh-children-go-missing-in-India-every-year-Home-ministry/articleshow/39779841.cms

http://indianexpress.com/article/explained/national-crime-records-bureau-data-2015-slight-dip-in-rape-crime-against-women-3004980/

http://mief.in/mental-sickness-in-children-in-india-an-overview/

http://www.naco.gov.in/sites/default/files/HIV%20DATA.pdf

Institutionalised Children: Seminar on Standards of Care and Mental Health- A Report, March 14-15, 2014, Udayan Care (New Delhi, 2014). Available at http://www.udayancare.org/seminar-journal/Institutionalised%20_Children_Revised.pdf

Integrated Child Protection Scheme, 2014

Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016

Rules under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000) (as amended by the Amendment Act 33 of 2006), 26 October 2007

Study on Child Abuse: India 2007, Ministry of Women and Child Development, Government of India (New Delhi: Kirti, 2007). Website: http://www.childlineindia.org.in/pdf/MWCD-Child-Abuse-Report.pdf

Subjective Wellbeing of Children Living in Institutions of Delhi- A Rights Based Perspective, Delhi Commission for Protection of Child Rights (New Delhi, 2014). Available at http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_dcpcr/DCPCR/Publication/Subjective+Wellbeing+of+Children+Living+in+Institutions+in+Delhi

The Essentials of Child Protection: A Handbook for Beginners, CHILDLINE India Foundation (Mumbai, 2008). Available at www.childlineindia.org.in/pdf/Essentials-of-child-protection-Oct%2008.pdf

The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016)

The National Policy for Children, 2013. Available at http://wcd.nic.in/sites/default/files/npcenglish08072013_0.pdf